



आयकर स्लैब : कोई बदलाव नहीं, मध्य वर्ग को फिर झटका

पूंजीगत व्यय : 35.4 फीसदी ज्यादा 7.5 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

स्टार्टअप व एमएसएमई को राहत एक साल बढ़ाई



चार कैटेगरी में बन सकेंगे सस्ते मकान

इस घोषणा के अंतर्गत चार कैटेगरी में सस्ते मकान बन सकेंगे। इसमें या लोग खुद 60 वर्गमीटर से छोटे सस्ते मकान बनाएं या फिर बिल्डर की ओर से अपने तरीके से सस्ते मकान बनाए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी में सरकार की ओर से बिल्डर को सस्ते मकान बनाने का काम किया दिया जा सकता है या फिर सरकार खुद ही सस्ते मकान बनाने का काम करे। फिलहाल यूपी में आवास विकास की ओर से सस्ते मकान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन प्राधिकरण क्षेत्र में इस योजना पर काम नहीं चल रहा था।

वित्त मंत्री की सस्ते मकानों की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत अगले एक साल तक सारी रियायतें मिलेंगी। यही नहीं एनसीआर में करीब पांच लाख सस्ते मकानों का तोहफा भी मिल सकेगा। सस्ते मकानों की श्रेणी में एक नियम के तहत टैक्स में भी राहत मिलेगी और दूसरे प्रकार की छूट भी मिलेगी। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। - मनोज गौड़, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नेशनल

जीएसटी में इनपुट-टैक्स क्रेडिट का प्रावधान, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नीतिगत सुधार, गृह ऋण ब्याज के लिए कर छूट लाभ आदि जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं हुईं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना और किफायती आवास योजना के लिए बजट का आवंटन स्वागत योग्य कदम है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। - रतन हवेलिया, फाउंडर और चेयरमैन, हवेलिया ग्रुप